



न्यायालय
श्रीमती रेणु कुमारी
कार्यपालक दण्डाधिकारी

01/10/17 online entry

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 334 / 2017

धारा 107 द.प्र.स.

आ. सं. तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
27.2.17	<p>दिलीप कुमार याच बनाम डाली कुमारी (12/11/17) थाना अप्राथमिकी सं० 26/11/17</p> <p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी सं० अ०नि०/अ०नि० (12/11/17) ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी (12/11/17) थाना एवं अ० निरी० गोविन्द प्रसाद ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच</p> <p>..... लेकर जमीन संवर्धन विभाग का</p> <p>तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 17.3.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p>	<p>1.4.17</p> <p>26.4.17</p> <p>16/5/17</p> <p>25/5/17</p> <p>5/6/17</p> <p>16/6/17</p> <p>3/7/17</p> <p>18/7/17</p> <p>1/8/17</p> <p>18/8/17</p> <p>1/9/17</p> <p>13/9/17</p> <p>3/10/17</p> <p>16/10/17</p> <p>01/11/17</p> <p>14/11/17</p> <p>28/11/17</p> <p>11/12/17</p> <p>समाप्त</p>
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p></p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p> <p></p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>	

जब का प। की हाजती है इस अन्य कठोर है
द्वितीय पत्र ड। की हाजती है इस ॥५ का
आवेदक है जिस

किना जात है
२३/११/२०२०

विषय- लोकी की- १५ का आवेदक है
॥१२ का आवेदक है

॥५ का आवेदक है ॥५ का आवेदक है
॥५ का आवेदक है ॥५ का आवेदक है

उक्त पत्र लिखित है ॥५ का आवेदक है
कामवाही की आवेदक है ॥५ का आवेदक है
कामवाही का आवेदक है ॥५ का आवेदक है
मेरे लक्ष्य की आवेदक है ॥५ का आवेदक है

॥५ का आवेदक है
॥५ का आवेदक है

उक्त पत्र लिखित है ॥५ का आवेदक है
॥५ का आवेदक है ॥५ का आवेदक है
॥५ का आवेदक है ॥५ का आवेदक है